न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 69/2018

1. किशन
2. शिवचरण पुत्रगण परसादी जाति अहीर निवासी ग्राम चन्दुपूरा तहसील पहाडी भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. भीमसिंह पुत्र मोती
2. मुस0 कमला बेबा अतर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम चन्दूपूरा तहसील पहाडी (मृत्तक)
3. श्रीमति मीना पुत्री अतर सिंह पत्नि सुरेश जाति अहीर निवासी खटीक मौहल्ला डीग (भरतपुर)।
4. नारायण
5. मदन मोहन पिसरान नन्दराम जाति अहीर निवासी ग्राम चन्दूपूरा तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री यशपाल सैनी वकील वादीगण
श्री सतीश शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 3

दिनांक :– 31.12.2020

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1011/0.77 है0 बांके ग्राम पीपलखेडा तहसील पहाडी में स्थित है। पक्षकारान एक ही बुजुर्ग की सन्तान है। परसादी फौत हो चुके है। जिनके वारिस वादीगण है तथा नन्दराम फौत हो चुका है। जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 4 व 5 है। मोती भी फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है तथा दूसरा लडका अतर सिंह था जो गुजर गया उसकी पत्नि कमला व पुत्री मीना प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है। आराजी मुत0 ग्राम पीपलखेडा मे है

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

जिसमें वादीगण के बाबा का 1/2 हिस्सा था तथा 1/2 हिस्सा श्योनारायण पुत्र गंगासहाय का है। आराजी के अलावा ग्राम चन्दूपुरा में साढे तैंतीस बीघा आराजी वादीगण के बाबा हुक्मी की थी और मोती लाल के गुजरने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 तथा हुक्मी के गुजरने के बाद नन्दराम व मोती व परसादी के नाम राजस्व अभिलेख में आई थी और इस चन्दूपुरा वाली आराजी तथा पीपलखेडा की आराजी जिनमें हुक्मी का 0.39 एयर रकबा था को भीमसिंह , अतरसिंह , नन्दराम, परसादी ने सन् 1992 में विभाजन करा लिया और आराजी मुतदाविया का 1/2 हिस्सा जो वादीगण के बाबा का था। वादीगण के पिता के हिस्से में दे दिया गया तथा चन्दूपुरा की आराजी को भी विभाजित कर दिया गया। ग्राम पीपलखेडा व चन्दूपुरा के अलग–अलग पटवार सर्किल थे । इसलिए लिखित विभाजन चन्दूपुरा वाली जमीन का ही हुआ और उसमें से वादीगण के पिता को केवल साढे नौ बीघा भूमि दी गई । जबकि दोनो गाँवो की आराजी करीब 36 बीघा थी। वादीगण को 12 बीघा जमीन हिस्से में आती है जो आराजी मुत0 के 1/2 हिस्से समस्त को मिलाकर होती है। इस प्रकार आराजी मुतदाविया में वादीगण के पिता नन्दराम , भीमसिंह,अतरसिंह ने अपना हिस्सा बंटवारे में दे दिया और जमीन बराबर–बराबर आ गई। परन्तु आराजी दूसरे पटवार सर्किल में थी । इसलिए चन्दूपुरा की आराजी के साथ आराजी मुत0 का लिखित में देने की बाद में कहा गया। उसके बाद अतर सिंह फौत हो गया । इसलिए आराजी की लिखापढी नहीं हो सकी। परन्तु आराजी के 1/2 हिस्से का कब्जा चन्दूपुरा की आराजी लिखित बंटवारे के समय से ही । सन् 1992 में दे दिया और तभी से वादीगण व उसके पहले वादीगण के पिता वाहिद रूप से काश्त करता चला आ रहा है। भीमसिंह,अतरसिंह, नन्दराम व प्रतिवादीगण का सन् 1992 के बाद कोई कब्जा नहीं रहा । परन्तु जमाबन्दी लेने पर दिनांक 03.01.2004 को वादीगण को इस बात का इल्म हुआ कि आराजी के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 मृतक अतरसिंह नन्दराम का इन्द्राज चला आ रहा है। जिसको मुताबिक बंटवारा वादीगण कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण 2 व 3 गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी को रहन वय मुन्तकिल करना चाहते है और वादीगण को उनके कब्जे से बेदखल करने की फिराक में है। जिसके लिये दिनांक 03.04.2004 को धमकी दी है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण 2 व 3 को हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। क्योकि यदि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने आराजी को बेचान कर दिया तो वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति नगद से ना हो सकेगी। अतः घोषित फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1011/0.77 है0 बांके ग्राम पीपलखेडा तहसील पहाडी के 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता के बंट में व हिस्से में आया और

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 अतर सिंह , नन्दराम के इन्द्राज को कलमजन कराकर 1/2 हिस्से पर अपने आपको घोषित करा पाने का अधिकारी है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 2 ने जबाब दिनांक 04.01.2005 को इस आशय का पेश किया कि उक्त दावा वादीगण द्वारा महज तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 2 पर कोई पुत्र सन्तान नहीं है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 अपने पुत्र को प्रतिवादी संख्या 2 को गोद लेने के लिये नाजायज दबाब डालना चाहता है तथा जब प्रतिवादी नं0 2 ने पुत्र को गोद लेने से मना कर दिया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण से मिलकर प्रतिवादी संख्या 2 की हिस्से की आराजी को अवैध रूप से हडपने की गरज से पेश किया गया है। जिसमें बिल्कुल सत्यता नहीं है। अतः दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें।प्रतिवादी संख्या 1,4,5 ने दिनांक 12.05.2004 को एकवाल दावा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1011/0.77 है0 बांके ग्राम पीपलखेडा तहसील पहाडी का 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता के बंट में आया और वादीगण हम प्रतिवादीगण के पिताओं के नाम कलमजन कराकर 1/2 हिस्से पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है। हम प्रतिवादीगण को वादीगण के नाम खातेदारी दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हम प्रतिवादीगण के पिताओं का नाम कलमजन कर दावा वादीगण डिक्री किये जाने में हमें किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 फौत हो जाने के कारण दिनांक 22.04.2013 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 2 कमला फौत हो चुकी है। उसके नाम के आगे लाल स्याही से मृत्तक शब्द दर्ज किया जावे। जिसकी एक मात्र लडकी प्रतिवादी संख्या 3 मीना है। जो दावे में पक्षकार मुकदमा है। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 पर सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं दिनांक 22.04.2013 को प्रतिवादी संख्या 2 के नाम क आगे मृत्तक शब्द दर्ज किया गया।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :-</u> आया आराजी मुतदाविया एवं चन्दूपुरा वाली आराजी का बंटवारा 1992 में होकर आराजी बंटवारे में वादीगण के हिस्से में आई और वादीगण आराजी की 1/2 हिस्सा पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है।

........वादीगण

<u>तनकी संख्या 2 :-</u> आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई की डिक्री करा पाने के अधिकारी है।

........वादीगण

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

तनकी संख्या 3 :– आया वादीगण ने दावा प्रतिवादी नं0 1 से मिलकर प्रतिवादी संख्या 2 के कोई पुत्र सन्तान न होने के कारण उसके हिस्से की आराजी को हडपने की गरज से प्रतिवादी संख्या 2 को तंग व परेशान करने के लिये पेश किया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 हरजा खर्चा 2000/– खास पाने का अधिकारी है।

...............प्रतिवादीगण

4:– दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादीगण में नियत की गई। साक्ष्य वादीगण में पी0डब्लू0 1 किशन, पी0डब्लू0 2 देवकीनन्दन, पी0डब्लू0 3 मोहर सिंह के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर दिनांक 29.09.2020 को साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्लू0 1 कमला, का शपथ पत्र पेश किया अन्य कोई साक्ष्य पेश न होने पर दिनांक 24.12.2019 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062, नकल नामान्तकरण , नकल जमाबन्दी 2075 से 2078, नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये। प्रतिवादीगण संख्या 1,4,5 ने अपना इकबाल दावा दिनांक 12.05.2004 को इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1011/0.77 स्थित ग्राम पीपलखेडा का 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता के बंट व हिस्से में आया था और वादीगण हम प्रतिवादीगण के पिताओं के नाम को कलमजन कराकर 1/2 हिस्से पर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है। इसमें हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस वकील फरीकेन की बहस सुनी । वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमनें बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रस्तुत इकबाल दावा का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1:– आया आराजी मुतदाविया एवं चन्दूपुरा वाली आराजी का बंटवारा 1992 में होकर आराजी बंटवारे में वादीगण के हिस्से में आई और वादीगण आराजी की 1/2 हिस्सा पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। विवादित आराजी के संबंध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत पी0डब्लू0 1 किशन, पी0डब्लू0 2 देवकीनन्दन, पी0डब्लू0 3 मोहर सिंह के शपथ पत्र से यह बखूबी प्रमाणित है कि विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा पर वादी गण की कब्जा काश्त है।

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तकरण से यह बखूबी प्रमाणित है कि लिखित विभाजन चन्दूपुरा वाली जमीन का ही हुआ और उसमें से वादीगण के पिता को केवल साढे नौ बीघा भूमि दी गई । जबकि दोनो गाँवो की आराजी करीब 36 बीघा थी। वादीगण को 12 बीघा जमीन हिस्से में आती है जो आराजी मुत0 के 1/2 हिस्से समस्त को मिलाकर होती है। साथ–साथ प्रतिवादीगण संख्या 1,4,5 ने अपना इकबाल दावा दिनांक 12.05.2004 को इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1011/0.77 स्थित ग्राम पीपलखेडा का 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता के बंट व हिस्से में आया था और वादीगण हम प्रतिवादीगण के पिताओं के नाम को कलमजन कराकर 1/2 हिस्से पर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है। इसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन से वादीगण आराजी की 1/2 हिस्सा पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई की डिक्री करा पाने के अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। चूकि तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादीगण हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री पाने की अधिकारी है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3:– आया वादीगण ने दावा प्रतिवादी नं0 1 से मिलकर प्रतिवादी संख्या 2 के कोई पुत्र सन्तान न होने के कारण उसके हिस्से की आराजी को हडपने की गरज से प्रतिवादी संख्या 2 को तंग व परेशान करने के लिये पेश किया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 हरजा खर्चा 2000/– खास पाने का अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था। परन्तु प्रतिवादी किसी भी साक्ष्य अथवा दस्तावेज से इस तथ्य को प्रमाणित नहीं कर पाया है। प्रतिवादी के पिता को पूर्व में ही विभाजन के माध्यम से हिस्सानुसार आराजी प्राप्त हो चुकी है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

4. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 व 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नं0 1011/0.77 पुराना एवं 1482/0.77 नया नम्बर बांके ग्राम पीपलखेडा

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

तहसील पहाडी के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

डिगरी व मुकदमे इक्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 69/2018
1. किशन
2. शिवचरण पुत्रगण परसादी जाति अहीर निवासी ग्राम चन्दुपूरा तहसील पहाडी भरतपुर।

वादीगण

बनाम

1. भीमसिंह पुत्र मोती
2. मुस0 कमला बेबा अतर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम चन्दूपूरा तहसील पहाडी (मृत्तक)
3. श्रीमति मीना पुत्री अतर सिंह पत्नि सुरेश जाति अहीर निवासी खटीक मौहल्ला डीग (भरतपुर)।
4. नारायण
5. मदन मोहन पिसरान नन्दराम जाति अहीर निवासी ग्राम चन्दूपूरा तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव वकील प्रतिवादी संख्या 3 उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नं0 1011/0.77 पुराना एवं 1482/0.77 नया नम्बर बांके ग्राम पीपलखेडा तहसील पहाडी के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर . ... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.12. सन् 2020 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत ....उप खण्ड अधिकारी.......
ओहदा ....पहाड़ी (भरतपुर).........

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	......			फीस कमिश्नर	......		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		

Scanned with OKEN Scanner